[श्री सतीश प्रधान]

है कि माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करवायें। यह असल में क्या चीज है यह सब बाहर लाने की जरूरत है मैं इतना ही इसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो राजकुमार जी ने यहां रखी है।

उसके बारे में रेलवे के बजट पर बोलते समय मैंने बताया था कि यह जो "नो-मैंस" रेलवे गेट्स हैं, वहां पर कोई आटोमैटिक स्विच बिठाया जाये और जब रेलवे इंजिन या रेल डिब्बा वहां आयेगा, तो वह स्विच आटोमैटिकली आँफ हो सकता और वह नीचे गिर सकती है, अदरवाइज, इट बिल बी ओपन। मैडम, ऐसा किये जाने पर ज्यादा खर्च नहीं आयेगा और रेलवे यह बहुत कम खर्चे में कर सकती है। यह जो प्राब्लम पूरी दुनियां में है, उसे दूर करने का यह एक सुझाव हो सकता है। कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचा जाये।

Reinstallation of Dr. B. R. Ambedkar's statue in a Trans-Jamuna Colony in Delhi

कुमारी माया वती : (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान आज से दो दिन पहले दिल्ली, जोकि भारत की राजधानी है, के जमुनापार ग्राम कोंडली में घटित एक दुखद घटना की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं। मैडम, ग्राम कोंडली में 5 – 6 एकड़ का डी०डी०ए० की ओर से पार्क बनाया गया था। उस पार्क में पिछले महीने परम-पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की जयन्ती के मौके पर बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा लगायी गयी थी, लेकिन दुख की बात यह है कि आज से दो दिन पहले डी०डी०ए० के अधिकारियों ने बिना किसी सूचना, बिना किसी आदेश या कोर्ट की इजाजत के लगभग 12, साढ़े 12 बजे के बीच में, जैसे कि चोर चोरी करता है, चोरों की तरह डी०डी०ए० के अधिकारी वहां पहुचे और परम पूज्य बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा उखाड़ कर ले आये। उस प्रतिमा को उखाड़ कर वहां के सवर्ण समाज के लोगों ने हमारे लोगों के बारे में यह प्रचार किया कि बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा लगा कर यह जमीन को हड़पना चाहते हैं।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जिन्होंने कि भारत का संविधान बनाया, जिन्होंने कि देश के करोड़ों दलित व शोषित समाज के हित में कार्य किया और उनको जिन्दगी के पहलू में आगे बढ़ने का मौका दिया, ऐसे परम पूज्य बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की जब प्रतिमा लगायी जाती है, तो बिना किसी नोटिस के उखाड़ दिया जाता है, तो मैं समझती हूं कि इस तरह परम-पूज्य बाबा साहेब डा० अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया जाता है। मैं समझती हूं कि जिन डी०डी०ए० के अधिकारियों ने बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा उखाड़ी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। मैडम, इतना ही नहीं, वहां पर पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों को बेहरहमी से पीटा गया और बेकसूर लोगों को जेल में डाला गया। मैडम, मैं मांग करती हूं कि जो बेकसूर लोग जेल में डाले गये हैं, उनको छोड़ा जाये और पुलिस के द्वारा जिन लोगों को जख्मी किया गया है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिये।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट करती हूं कि वह दिल्ली की सरकार से रिक्वैस्ट के तौर पर अपील करे और वह अपील मानी जाये। यदि वह नहीं मानते हैं तो यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी होगी कि भारत के संविधान के निर्माता की प्रतिमा जो कोंडली ग्राम के पार्क से उखाड़ी गयी है, उस प्रतिमा को दोबारा लगाया जाये। मैडम, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहती हूं कि इसी किस्म की घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में घटी थी और शेरगढ़ी कांण्ड हुआ था। वहां पर सवर्ण अधिकारियों में, जो लोग जमीन को हड़पते हैं, उनकी मिलीभगत से, बाबा

साहेब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा उखाड़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपने खर्चे से सरकार की ओर से, वहां पर प्रतिमा लगा कर पार्क बनाया। इसलिये मैं रिक्वैस्ट करती हूं कि केन्द्र की सरकार दिल्ली की सरकार को यह आदेश करे कि जो प्रतिमा डी०डी०ए० अधिकारियों ने उखाड़ी है, उस प्रतिमा को सरकार दोबारा लगाये और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। धन्यवाद।

Return of Padma Award by Shri Anna Saheb Hazare

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान महाराष्ट्र की एक घटना पर ले जाना चाहता हूं। अन्ना साहब हजारे, इन्होंने पिछली एक मई से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल की हुई है। पिछले चार वर्षों से यह एक भ्रष्टाचार के मामले को उठा रहे हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, केन्द्रीय सेवा के भी जिसमें छह अधिकारी हैं, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन सारे प्रयत्नों के बाद भी सरकार उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही। एक महीना पहले इसी से निराश होकर अपने प्रयत्नों से, उन्होंने अपनी पदमश्री की उपाधि भी लौटा दी। उसके बाद वह एक मई से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथी भी उनके साथ हैं। वह यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो केन्द्रीय सरकार अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाये। मैं चाहूंगा कि सरकार एक वक्तव्य दे, इस कार्यवाही के प्रारम्भ करने का, ताकि पदम-भूषण अन्ना साहब हजारे यह भूख हड़ताल समाप्त कर सकें।

Lathi charge on women and children in Ayodhya

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, लोकतन्त्र में राजनैतिक दलों को अपनी बात जनता तक पहुचाने के लिये धरना देने, प्रदर्शन करने, सत्यागृह करने और आन्दोलन करने का अधिकार है। सभी राजनैतिक दल प्रायः ऐसा करते रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। महोदया, कल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद का जो बहुत चर्चित स्थान है, अयोध्या, वहां पुलिस ने बड़ा कहर मचाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने अपना धरने पर बैठे थे। उस धरने में बैठे लोगों में महिलायें भी थीं, जिनमें कुछ दूधमुंहे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठी थीं।

महोदया, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामजी पण्डा ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक नोट पीछे छोड़ा था, जिसे कानून की निगाह में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं और जब डाइंग डिक्लेरेशन हो, तो कानून की निगाह में उससे ज्यादा बेहतरीन साक्ष्य नहीं होती और उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है। उसमें किसी व्यक्ति को फंसाने, बहकाने या भड़काने की बात नहीं है, बहुत साफ लिखा है कि उस डाइंग डिक्लेरेशन में, कि मैं आत्महत्या सरकार द्वारा, प्रदेश की सरकार द्वारा उत्पीड़न के कारण कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र से दो बार निर्वाचित लोकप्रिय विधायक लल्लूसिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। उस मुकदमें को खतम कराने के लिए वहां के कार्यकर्ता मांग करते रहे और उन्होंने कल वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, और धरना दिया जिसमें लल्लू सिंह भी बैठे हुए थे। वैसे भी व्यावहारिक बात नहीं है कि भीड़ से किसी को गिरफ्तार किया जाये अगर गिरफ्तार करना था किसी मुकदमें में, तो कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, संपत्ति कुर्क की जा सकती थी, लेकिन जहां सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे हों, जिसमें महिलाएं भी हों, उसमें पुलिस